यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, विकासनगर के माह 06/2012 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अभेन्दर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं डॉ॰ सतीश पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.06.2018 से 13.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी विकासनगर द्वारा समस्त संकुल केन्द्रों का पर्यवेक्षण, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु संबन्धित विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर संस्तुति जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करना, प्रारम्भिक शिक्षा से संबधित समस्त परीक्षाओं का सफल संचालन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों का अनुश्रवण एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा से संबन्धित सभी योजनाओ का सफल क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र विकासखण्ड विकासनगर है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13		-	1490.90	1490.90				
2013-14	-	-	1779.60	1779.60				
2014-15	-	-	1980.59	1980.45				0.14
2015-16	-	-	2152.20	2152.20				
2016-17	-	-	2363.54	2363.54				
2017-18	-	-	3163.43	3163.43				
2018-19	-	-	2096.31	753.67				1342.64

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2012-13						
2013-14						
2014-15			**शून्य**			
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
4. मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी /उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी विकासनगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी विकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017, 08/2016, 09/2012 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 1:- चयनित माहों के रु. 1217.49 लाख के व्यय वाऊचर्स उपलब्ध न कराया जाना

लेखापरीक्षा मे विस्तृत जांच हेतु व्यय पक्ष के माह अक्टूबर 2017, अगस्त 2016 एवं सितंबर 2012 को चयनित किया गया। जिनकी व्यय धनराशि (Gross Amount) निम्नानुसार है।

माह	धनराशि
अक्टूबर 2017	50925525
अगस्त 2016	41197356
सितंबर 2012	29626292
कुल	121749173

लेखा परीक्षा द्वारा उपरोक्त माहों के व्यय वौचर्स उपलब्ध कराये जाने हेतु इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त माह के वौचर्स के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि व्यय वौचर्स कार्यालय में ही उपलब्ध होने चाहिए थे एवं पटल सहायक को इसकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-2: ₹ 32.27 लाख की धनराशि के अवमुक्त किये जाने के बाद भी 2 माह से 6 वर्ष तक की अवधि से कार्य विलम्बित

जिला परियोजना अधिकार के पत्रांक/ जि0परि0का0/1239/ नि0का0/2011-12/दिनांक-05 जुलाई 2011 बिन्दु सं 13 विभिन्न निर्माण को पूर्ण करने का समय निम्नानुसार है।

नवीन भवन निर्माण/पुर्ननिर्माण उ0प्रा0वि0	-	6 माह
नवीन भवन निर्माण/पुर्ननिर्माण प्रा0वि0	-	5 माह
व्रहद मरम्मत कार्य	-	3 माह
चाहरदीवारी/सुरक्षा दीवार	-	2 माह
बालिका शौचालय	-	1.5 माह
विदधिकरण	-	1 माह
चाईल्ड फ्रीन्द्ली ऐलीमेनटस	-	1 माह
रैम्प/बैरियर फ्री	-	15 दिन
फर्नीचर उपलब्धता	-	1 माह
अतिरिक्त कक्षा कक्ष/ प्रधानाध्यापक	-	3 माह

दिये गये कार्य उक्त निर्धारित समय मे पूर्ण हो जाने चाहिए। निर्धारित समय के बाद कार्य करने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति के विरुद्ध ब्याज सहित घनराशि वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि विभिन्न प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे वर्ष 2012-13 से 2017-18 के कार्य (सूची संलग्न) वर्तमान तक अपूर्ण है जबकि उक्त कार्य क्रमश कम से कम 15 दिन व अधिकतम 6 माह मे पूर्ण हो जाने चाहिए थे।

₹ 32.27 लाख की धनराशि के अवमुक्त किये जाने के बाद भी 2 माह से 6 वर्ष तक की अवधि से कार्य विलम्बित थे।

इकाई ने उत्तर मे बताया कि चारदीवारी का 50% धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 मे विद्यालयों को प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य मे विलम्ब हुआ तथा शेष कार्यो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि शेष धनराशि उपलब्ध होने के एक से दो वर्ष बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………….Nil………………………….

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी विकासनगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   मार्च 2013 के BM 05 मे प्रदर्शित समस्त बिल/वाउचर

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री रणजीत सिंह	उप शि॰ अ॰	07-08-2012 से 15-03-2015 तक
2.	श्री पंकज शर्मा	उप शि॰ अ॰	16-03-2015 से 15-11-2016 तक
3.	श्री वी.पी. सिंह	उप शि॰ अ॰	16-11-2016 से 18-11-2016 तक
4.	श्री हिमांशु कुमार श्रीवास्तव	उप शि॰ अ॰	19-11-2016 से अविरल

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी विकासनगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र